न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/341
दायरा तिथि : 05.09.2024
आदेश तिथि :
प्रार्थी :–

श्री वरदाराम पुत्र तोलाराम जाति मीणा, निवासी मीणो की ढाणी, बिसलपुर तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 9/10/024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2186 रकबा 1.3300 हैक्टर व खसरा नंबर 2187/1 रकबा 1.1000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2218 रकबा 7.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 2193 रकबा 12.1500 हैक्टर व खसरा नंबर 2196 रकबा 15.6000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे येलो फ्लोरोसेंट रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2093 दिनांक 08.10.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि खेत में कटान मार्ग तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया नया रास्ता कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का नहीं है, कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का अन्य रास्ता प्रस्तावित है।
3. यह है कि उक्त रास्ता प्रचलित है।
4. यह है कि ग्राम बिसलपुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2193	12.15 हैक्टर	गै.मु. भाखर	380X9=3420 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	2196	12.60 हैक्टर	गै.मु. भाखर	294X9=2646 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	2180	6.08 हैक्टर	गै.मु. भाखर	515X9=4625 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
4	2796/2461	0.90 हैक्टर	गै.मु. भाखर	105X9=945 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

5. यह कि भू.अ. निरीक्षक बिसलपुर की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित प्रत्येक खसरे की डी.एल.सी. दर 1,79,658 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, ढाणी अथवा पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/341

अनवान वरदाराम बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2186 रकबा 1.3300 हैक्टर व खसरा नंबर 2187/1 रकबा 1.1000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2093 दिनांक 08.10.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2186 रकबा 1.3300 हैक्टर व खसरा नंबर 2187/1 रकबा 1.1000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2193 रकबा 12.1500 हैक्टर व खसरा नंबर 2196 रकबा 15.6000 हैक्टर, खसरा नंबर 2180 रकबा 6.08 हैक्टर व खसरा नंबर 2796/2461 रकबा 0.9000 हैक्टर में से **3420+2646+4625+945=11,636 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।**
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1.79,658 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2193	12.15 हैक्टर	380X9=3420 वर्गमीटर	18	61,560X2= 1,23,120	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2196	12.60 हैक्टर	294X9=2646 वर्गमीटर	18	47628 X2=95,256	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2180	6.08 हैक्टर	515X9=4625 वर्गमीटर	18	83250X2=1,66,500	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2796/2461	0.90 हैक्टर	105X9=945 वर्गमीटर	18	17,010 X2=34,020	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 4,18,896/– (अक्षरे चार लाख अठारह हजार आठ सौ छियानवें रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जाये। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2024/2117 – 2121

दिनांक : 9/10/024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1.तहसीलदार, बाली
2.निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3.पटवारी हल्का, बिसलपुर
4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5.आवेदक श्री वरदाराम पुत्र तोलाराम जाति मीणा, निवासी मीणो की ढाणी, बिसलपुर तहसील बाली, जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन

Scanned with CamScanner

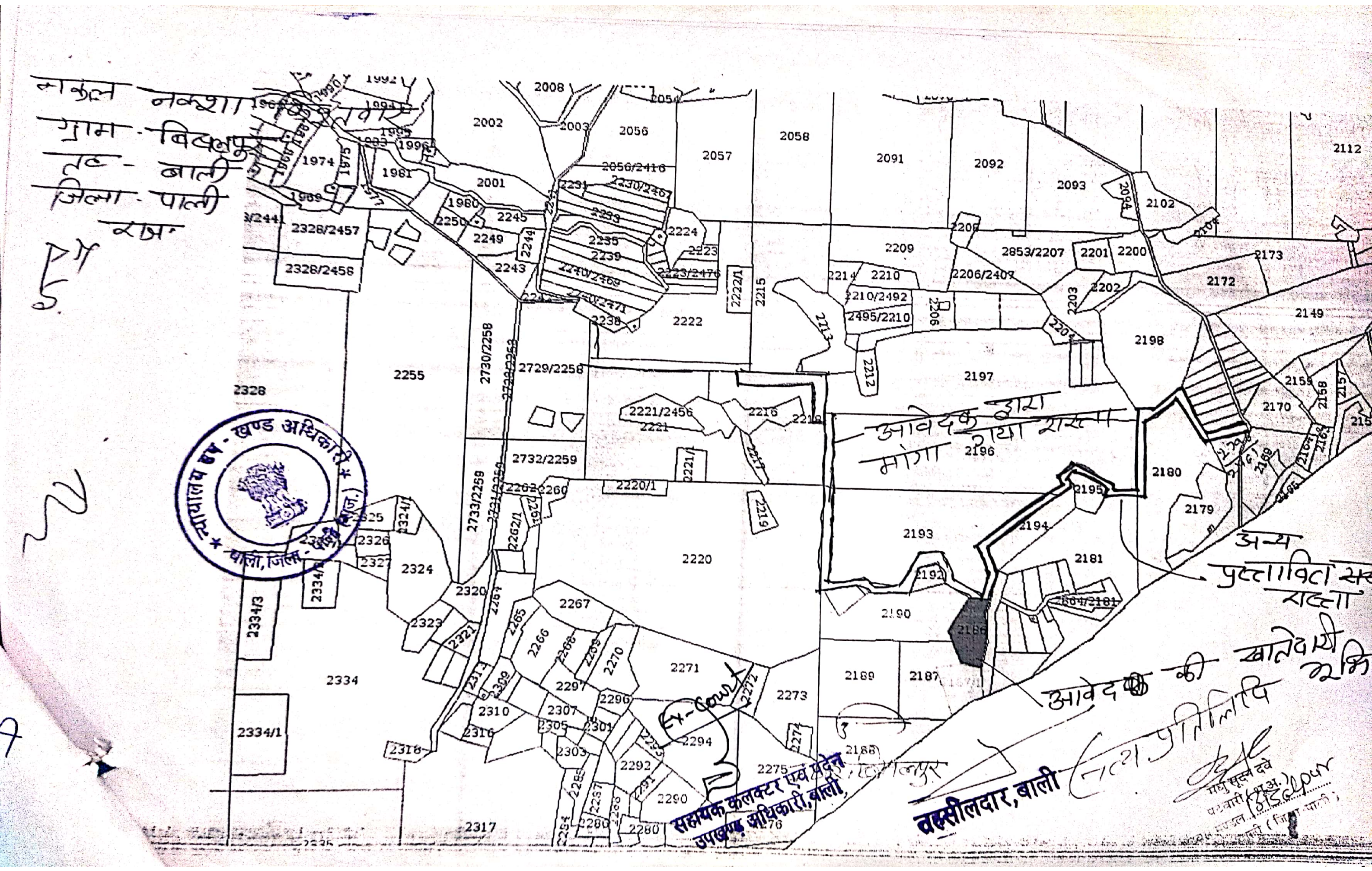

Scanned with CamScanner